# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

**राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018**

**कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बीलवाडी, कैम्प दिनांक 24.05.2018**

**पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.**

**राजस्व वाद संख्या :– 101/2017 दायर तारीख 13.12.2017**

1. हमीर सिंह पुत्र गंगू सिंह जाती राजपूत निवासी बयावास तहसील विराटनगर।

**—— वादी**

बनाम

1. रावत सिंह पुत्र प्रभूसिंह जाती राजपूत निवासी बयावास तहसील विराटनगर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
4. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विराटनगर
5. कनि॰ अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि॰ विराटनगर

**—— प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत बंटवाराएवं स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल, अधिवक्ता वादी
श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं॰ 01
पैरोकार सरकार

## निर्णय

**निर्णय दिनांक 24.05.2018**

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बयावास के खसरा नम्बर 575/1.69 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादी एवं हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी मुतनाजा में एक पुख्ता कुआ बना हुआ है, जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर हिस्सा है, कुए में पानी सुख जाने पर वादी एवं प्रतिवादी ने बराबर खर्चे से एक बोरिंग निर्माण करवाया है एवं वादी की सहमति पर प्रतिवादी संख्या 1 ने विद्युत कनेक्शन लगा रखा है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है, जिसमें वादी के हिस्से में दक्षिणी पूर्वी हिस्सा आया है तथा प्रतिवादी के हिस्से में पश्चिमी–उत्तरी हिस्सा आया है। प्रतिवादी संख्या 1 विद्युत कनेक्शन में अपना नाम होने का फायदा उठाकर अन्यत्र स्थानान्तरण करवाना चाहता है। कृषि विद्युत कनेक्शन को स्थानान्तरण से

रोकने एवं हिस्से 1/2 के उपयोग–उपभोग करने हेतु प्रस्तुत वाद लाजमी है। अतः निवेदन है कि ग्राम बयावास के खसरा नम्बर 757/1.69 हैक्टेयर में स्थित कुए के पास स्थित बोरिंग को छोडकर बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक बंटवारा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की अलग–अलग खातेदारी कायम की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 757 में स्थित बोरिंग एवं कृषि विद्युत कनेक्शन के 1/2 हिस्सा का उपयोग–उपभोग वादी को करने देवे, किसी प्रकार की दखल नहीं करें, कनेक्शन को अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं करें, न करावें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 242 संवत् 2073–2076, विद्युत उपभोग बिल, नजरी नक्शा आदि पेश किये।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया।
4. प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा में स्थित कुआ प्रतिवादी के हिस्से मे है, जो स्वयं प्रतिवादी का बनाया हुआ है। कुए में पानी सुख जाने पर प्रतिवादी ने अपने स्वयं के खर्चे से बोरिंग बनाकर उसमें अपने नाम से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है, जिससे वादी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी ने अपने विद्युत कनेक्शन को सिफ्ट कराने के लिए राशि भी जमा करायी है तथा मौके पर लाईन भी डाली गयी है। यह भी कि विद्युत कनेक्शन संबंधि अनुतोश सिविल न्यायालय में प्राप्त किये जा सकते है, विद्युत कनेक्शन के संबंध में न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। आराजी मुतनाजा का मौकास्थिति अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।
5. प्रकरण में दिनांक 05.01.2018 को उभय पक्षकारान ने तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप उभय पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने की सहमति प्रकट की, जिस पर तहसीलदार विराटनगर को तहरीर जारी की गई।
6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में मजमा–ए–आम राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु पेश हुई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

7. प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव राजस्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप लोक अदालत में प्राप्त हो चुका है।
8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान के निवेदन पर मनन किया गया। वस्तुतः ग्राम बयावास के खसरा नम्बर 575/1.69 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादी एवं हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उभय पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाता का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उभय पक्षकारान के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया, जिसके संबंध में राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान ने मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव आराजी का कानूनी बंटवारा करने का निवेदन किया है। जहां, तक आराजी मुतनाजा में स्थित कुए का प्रश्न है, वह शामिल खातेदारी में दर्ज रहेगा तथा विद्युत कनेक्शन का प्रश्न है, विद्युत कनेक्शन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, जिसे अन्यत्र सिफ्ट करने के लिए वह स्वतंत्र है। यह भी कि विद्युत कनेक्शन के अनुतोष का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। शेष आराजी मुतनाजा के संबंध में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार है। अतः राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुसार मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।
9. परिणामतः वादी विद्युत कनेक्शन के अतिरिक्त वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

## आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

| क.सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | रावत सिंह पुत्र प्रभूसिंह | 757/0.84 हैक्टेयर |
| 2 | हम्मीरसिंह पुत्र गंगूसिंह | 757/1/0.84 हैक्टेयर |
| 3 | हम्मीरसिंह पुत्र गंगूसिंह, रावत सिंह पुत्र प्रभूसिंह हिस्सा बराबर | 757/2/0.01 हैक्टेयर |

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

**निर्णय दिनांक 24.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बीलवाडी में सुनाया**

( मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते

## डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

**अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार—2018 कैम्प कोर्ट बीलवाडी**

**बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड** आर.ए.एस.

1. हम्मीर सिंह पुत्र गंगू सिंह जाती राजपूत निवासी बयावास तहसील विराटनगर।

**—— वादी**

बनाम

1. रावत सिंह पुत्र प्रभूसिंह जाती राजपूत निवासी बयावास तहसील विराटनगर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
4. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विराटनगर
5. कनि॰ अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि॰ विराटनगर

**—— प्रतिवादीगण**

10. **मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या** 101/2017 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री चिरंजीलाल एडवोकेट** व हाजरी ..................मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री गणपतलाल पंसारी एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम बयावास के खसरा नम्बर 757/1.69 हैक्टेयर में स्थित कुए के पास स्थित बोरिंग को छोडकर बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक बंटवारा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की अलग—अलग खातेदारी कायम की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 757 में स्थित बोरिंग एवं कृषि विद्युत कनेक्शन के 1/2 हिस्सा का उपयोग—उपभोग वादी को करने देवे, किसी प्रकार की दखल नहीं करें, कनेक्शन को अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं करें, न करावें।

    **राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में मजमा—ए—आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।** उभय पक्षकारान ने प्रकरण में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव कानूनी बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया।

    **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| क.सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | रावत सिंह पुत्र प्रभूसिंह | 757/0.84 हैक्टेयर |
| 2 | हम्मीरसिंह पुत्र गंगूसिंह | 757/1/0.84 हैक्टेयर |
| 3 | हम्मीरसिंह पुत्र गंगूसिंह, रावत सिंह पुत्र प्रभूसिंह हिस्सा बराबर | 757/2/0.01 हैक्टेयर |

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

**निर्णय दिनांक 24.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बीलवाडी में सुनाया**

( मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ..........शून्य............................ बाबत ................शून्य.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ............शून्य................... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ..........शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24.05.2018** को जारी की गई।

| मुद्दई | रूपया | मुद्दायलह | रूपया |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प बजह सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बबत इजराय हुक्मनामा | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतजरिक | |
| मीजान | शून्य | मीजान | शून्य |

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

( मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर